

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लगान धार्य वाद सं०- 01/2021-22

—: आदेश :—

अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक-297/रा०, दिनांक- 05.07.2021 के द्वारा मौजा-हाथकाठी थाना नं०-12 जमाबंदी संख्या-100, दाग संख्या- 328 के अन्तर्गत बंदोबस्ती पट्टा से प्राप्त रकवा-10बी०-00क०-00धूर जमीन का लगानधार्य हेतु आवेदक श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता-स्व० साईमन मरांडी, सा०-कमलघाटी, थाना-हिरणपुर जिला-पाकुड़ के नाम से प्रस्ताव प्रपत्र एम० में प्राप्त हुआ है। हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा प्रपत्र एम० के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियानी में अनाबादी कहकर दर्ज है। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक-297/रा० दिनांक- 05.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोबस्ती मु० सं०-41/95 के पारित आदेश दिनांक- 01.08.2007 के द्वारा आवेदक श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता-स्व० साईमन मरांडी, सा०-कमलघाटी, के साथ ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई बंदोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है तथा वर्ष 2000 से 2003-04 तक लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण भोग दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी हिरणपुर ने प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रपत्र एम० भेजा गया है।

अंचल अधिकारी, हिरणपुर ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक हिरणपुर के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के मद्देनजर भूमि का वार्षिक लगान 05/- (पाँच रुपए) प्रतिवर्ष प्रतिबीघा के दर से रकवा-10बी०-00क०-00धूर जमीन का 50/- (पचास) रुपये प्रतिबीघा अलावे सेस निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी हिरणपुर के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के आधार पर प्रश्नगत भूमि का 52/- (बावन रुपये) प्रति बीघा वार्षिक लगान के अलावे सेस श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता-स्व० साईमन मरांडी, सा०-कमलघाटी, के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम० में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम० की प्रति एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी हिरणपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।

जिला पाकुड़

मौजा का नाम... 12/10/2017

अनुमंडल पाकुड़
थाना संख्या 12

लगान धार्य प्रपत्र-M
अचल हिरणपुर

हल्का संख्या 12

सांख्यिक सेटलमेंट खतियान के अनुसार दखलकार रैयत

क्र.सं.	खतियान के अनुसार दखलकार रैयत का नाम	खता सं०	खसरा सं०	रकबा वि०-क०-घुर	किस्म जमीन	खता नम्बर	वर्तमान दखलकार रैयत का नाम पितृ/पत्नी/पुत्र/पुत्री	खसरा सं०	रकबा वि०-क०-घुर	हिल्सा जमीन	लगान प्रति बीघा की दर	नया लगान धार्य जमा	तौजी नम्बर
1.	उमनाबाई (बेटी) रवारा	101	328	54-09-00	पहाड़	101	श्री दिनेश बिलियम मराठी पिता- रवारा मराठी ब्याप- कमलधारा भाना- लिटिपात्र बिल- पाकुड़	328	10-00-00	पहाड़	5=00 प्रति बीघा	50=00 (पत्नी) (ब्याप) अलावा ब्याप 5404670/1000 के ब्याप 5404670-4/195 काटो 300-4/195 दि० 01-08-07 बाप आवेदन 24/11/2017 को दायर है कि राई है बिलियम आवेदन का दखल है अतः आवेदन के अंतः आवेदन के नाम से लगान निधारण सिपाया प्रकृत है।	14

रा० उप निरीक्षक
हिरणपुर

अचल निरीक्षक
हिरणपुर

अचल अधिकारी
हिरणपुर

भूमि उपसमाहर्ता
पाकुड़